

#-1295


न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - कपासन जिला - चित्तौड़गढ़)

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1015 दायर दिनांक 09/10/25 निर्णय दिनांक 09/10/25



क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	कपासन	61	वर्तमान प्रविष्टी स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर	शुद्ध प्रविष्टी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	तहसीलदार कपासन की अनुश्रुता स्वीकार की जाकर राज. भू.रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम कपासन प.ह. कपासन में खतासं. 61 परिवर्तन प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दसमद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
प्रतिनाथि पालनाथ- पटवार मण्डल कपासन जिला चित्तौड़गढ़			हस्ताक्षर पटवारी 09/10/25 पटवारी	हस्ताक्षर निरदावर 09/10/25 पटवारी	हस्ताक्षर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

1. पटवारी पटवार मण्डल कपासन जिला चित्तौड़गढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदसमद करें।

तहसीलदार कपासन
(हस्ताक्षर व मोहर)
तहसील कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़